न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 342/2017

निर्णय दिनांक :–01.10.2020

1. लाला पुत्र गोरधन जाति धाकड़ उम्र 41 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
2. प्रहलाद पुत्र गोरधन जाति धाकड़ उम्र 39 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
3. राधेश्याम पुत्र गोरधन जाति धाकड़ उम्र 37 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
4. हरिराम पुत्र गोरधन जाति धाकड़ उम्र 34 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
5. रामकिशन पुत्र हीरा जाति धाकड़ उम्र 50 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
6. श्योजी पुत्र हीरा जाति धाकड़ उम्र 48 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
7. महिपाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 36 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
8. सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 40 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
9. रतनलाल पुत्र जगदीश जाति धाकड उम्र 40 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक
10. कालू पुत्र जगदीश जाति धाकड़ उम्र 38 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
11. शंकर पुत्र जगदीश धाकड़ उम्र 36 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र बरदा जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
2. गोपाल पुत्र बरदा जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
3. शिवनारायण पुत्र स्व. कैलाश जाति गुर्जर जरिये संरक्षक माता ब्रह्मा देवी बैवा कैलाश निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक

4. श्रवण पुत्र स्व. कैलाश जाति गुर्जर जरिये संरक्षक माता ब्रह्मा देवी बैवा कैलाश निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
5. सीमा पुत्री स्व. कैलाश जाति गुर्जर जरिये संरक्षक माता ब्रह्मा देवी बैवा कैलाश निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
6. सुनीता पुत्री स्व. कैलाश जाति गुर्जर जरिये संरक्षक माता ब्रह्मा देवी बैवा कैलाश निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
7. ब्रह्मा देवी बैवा कैलाश जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
8. कजोड़ पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
9. गोपाल पुत्र गंगाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
10. कमलेश पुत्र बिरधीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
11. नरेश पुत्र बिरधीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
12. अम्बालाल पुत्र मांग्या जाति धाकड़ निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
13. कजोड़ पुत्र मांग्या जाति धाकड़ निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक

13/1. प्रधान पुत्र श्योजी धाकड़ जाति धाकड़ उम्र 38 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

13/2. शिवराज पुत्र माधूराम जाति धाकड़ उम्र 35 वर्ष निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

14. रामेश्वर पुत्र मांग्या जाति धाकड़ निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
15. हरकू बेवा मांग्या जाति धाकड़ निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक (फौत)
16. एस.बी.बी.जे. नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
17. श्योजी पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
18. जयसिंह पि. मु. मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी तितरिया तहसील देवली, जिला टोंक
19. तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक
20. जिला कलेक्टर महोदय जिला टोंक

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः–
श्री बाबू लाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय कैम्प कोर्ट पंचायत समिति देवली में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 185 ख. नं. 1333 रकबा 1.16 है0, ख. नं. 1351 रकबा 0.47 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राज. में स्थित है। उक्त आराजीयासत में आने जाने का कदीमी रास्ता ख. नं. 1345 के उतर दिशा में ख. नं. 1344 के दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की मध्य मेढ में से व ख. नं. 1343 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर व ख. नं. 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, के उतर मेड़ व ख. नं. 1334, 1335, 1336, 1337 के दक्षिण दिशा की मेंड़ से होकर प्रार्थीगण के खेतों में आने का रास्ता था। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने वाले उक्त कदीमी रास्ते को अप्रार्थीगण नं. 1 ता 8 ने ख. नं. 1344 के दक्षिण दिशा की मेड़ व ख. नं. 1345 की उत्तर दिशा की मेड़ के मध्य में तारों की बाड़ कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त खातेदार अप्रार्थी नं. 1 ता 8 के द्वारा शुरू में ही रास्ता बन्द करने से अप्रार्थीगण नं. 9 ता 19 ने भी मौके पर अपने खेतो की मेड़ो पर तारबन्दी करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 19 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खाता संख्या 185 ख. नं. 1333 रकबा 1. 16 है0 ख. नं. 1351 रकबा 0.47 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम तितरिया पटवार हल्का तितरिया तहसील देवली में स्थित है, में आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेतो में काश्त करने से वंचित होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान होगा। प्रार्थीगण के लिये

अपनी कृषि भूमि पर जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को जाने के लिये रास्ते के उपयोग हेतु रास्ता दिया जाने हेंतु प्रार्थीगण निर्धारित रेट पर पैसा जमा करने करने को तैयार है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 व 18 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 19 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 15 को अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर डिलिट किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा अपने हिस्से की आराजी को अप्रार्थी संख्या 13/1 व 13/2 को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 13/1 व 13/2 को पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 13/1 व 13/2 ने प्रकरण में अपने सहमति पत्र पेश किये।

तहसीलदार देवली ने रिपोर्ट / जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रार्थीयों को उक्त आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 3 मीटर व लम्बाई 636 मीटर है, जिसका क्षैत्रफल 1908 वर्गमीटर है। रास्ते चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 231,918 रूपये प्रति हैक्टर है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः—ख. नं. 1343 रकबा 0.19 है0 में लम्बाई 59 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 177 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 4104.63 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 8209.26 रूपये खातेदार, ख. नं. 1344 रकबा 0.35 है0 में लम्बाई 131 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 393 वर्ग मी0 डी. एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 9113.67 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 18227.34 रूपये खातेदार, ख. नं. 1345 रकबा 1.03 है0 में लम्बाई 45 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 135 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 3130.65 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 6261.30 रूपये खातेदार, ख. नं. 1346 रकबा 0.80 है0 में लम्बाई 64 मीटर चौड़ाई 3 मीटर

कुल क्षैत्रफल 192 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 4452.48 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 8904.96 रूपये खातेदार, ख. नं. 1347 रकबा 0.65 है0 में लम्बाई 45 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 135 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 3130.65 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 6261.30 रूपये खातेदार, ख. नं. 1348 रकबा 0.65 है0 में लम्बाई 43 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 129 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 2991.51 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 5983.02 रूपये सिवायचक, ख. नं. 1349 रकबा 0.55 है0 में लम्बाई 88 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 264 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 6122.16 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 12244.32 रूपये सिवायचक, ख. नं. 1336 रकबा 0.56 है0 में लम्बाई 16 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 48 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 1113.12 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 2226.24 रूपये सिवायचक ख. नं. 1335 रकबा 0.48 है0 में लम्बाई 28 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 84 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 1947.96 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 3895.92 रूपये खातेदार, ख. नं. 1334 रकबा 0.60 है0 में लम्बाई 33 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 99 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 2295.81 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 4591.62 रूपये सिवायचक, ख. नं. 1333 रकबा 1.16 है0 में लम्बाई 34 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 102 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 2365.38 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 4730.76 रूपये खातेदार ख. नं. 1350 रकबा 0.87 है0 में लम्बाई 50 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल क्षैत्रफल 150 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 3478.63 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 6957.00 रूपये कुल योग कुल किता 12 लम्बाई 636 मीटर चौड़ाई 3 मीटर कुल

क्षैत्रफल 1908 वर्ग मी0 डी.एल.सी दर वर्ग मी0 23.19 रूपये के अनुसार एक गुणा राशि 44246.52 रूपये प्रतिकर की दुगनी राशि 88493.04 रूपये खातेदारी/सिवायचक, राशि बनती है। आवेदक की आराजी भूमि खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी आराजी ख. नं. 1344, 1345, 1343, 1346, 1347, 1348, 1336, 1335, 1334,1333, 1350 में से रास्ता चाहते है। जिसे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार आदि नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते को देने के लिए अप्रार्थीगण सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार ने भी इस बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अप्रार्थीगण ने केवल रंजिशवश रास्ता बन्द किया है जिसके कारण प्रार्थी को न्यायालय में आना पड़ा । अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 185 ख. नं. 1333 रकबा 1.16 है0, ख. नं. 1351 रकबा 0.47 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील देवली में स्थित है जिसमें से अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण ख. नं. 1343, 1344,

1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1336, 1335, 1334, 1333, 1350 में से रास्ता चाहता है।अप्रार्थीगण संख्या 13/1, 13/2 व 19 ने प्रार्थना पत्र बाबत सहमति प्रकट की है। अप्रार्थीगण संख्या 20 व 21 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब/रिपोर्ट पेश की है। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थीगण को इस रास्ते बाबत कोई आपति होती तो अवश्य ही न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित होते। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार 636 X 3 = 1908 वर्ग मीटर के लिए प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को संदाय करने हेतु दुगनी प्रतिकर राशि 88493/— रूपये अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता अमल दरामद कर, मौके पर नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता तरमीम करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे। बाद पालना

रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली